भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-348
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान

†*348. **श्री असादुद्दीन ओवैसी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान (जीपीआईएल) योजना अथवा इसी प्रकार की किन्हीं योजनाओं के अंतर्गत भाषा-वार, वर्ष-वार और योजना-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित, जारी और संवितरित की गई;
(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान संस्कृत के लिए अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक निधियां दी गई हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न भाषाओं के लिए निधियों के आवंटन का निर्धारण करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;
(घ) क्या सरकार का विचार सभी प्राचीन और अनुसूचित भाषाओं के लिए अधिक समान और आवश्यकता-आधारित आवंटन सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन करने का है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा 'भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान' के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 348 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): सरकार की नीति सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के प्रयासों पर बहुत बल दिया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया है कि जहां कहीं संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा में होगा। यह नीति इस बात पर बल देती है कि शिक्षण उनकी घरेलू भाषा/स्थानीय भाषा में होना चाहिए और भारतीय भाषाओं के अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों के पास किसी भी भारतीय भाषा में अध्ययन करने का विकल्प हो। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 में स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल प्रारूप में भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई है।

निधियों का आबंटन भाषा के आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें आवश्यकता और उपयोग के अनुसार प्रदान किया जाता है। भारतीय भाषा संवर्धन अनुदान (जीपीआईएल) के अंतर्गत, भारत सरकार केंद्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस), महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान (एमएसआरवीवीपी), केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी), राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल) और राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल) को क्रमशः हिंदी, वेद, शास्त्रीय तमिल, सिंधी और उर्दू के संवर्धन के लिए अनुदान प्रदान करती है। तदनुसार, जीपीआईएल के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के संवर्धन हेतु विगत दस वर्षों की अवधि में बजट आवंटन नीचे दिया गया है:-

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	**वर्ष**	**आबंटित राशि**
1.	2015-16	288.88
2.	2016-17	333.65
3.	2017-18	390.31
4.	2018-19	420.60
5.	2019-20	459.70
6.	2020-21	370.73
7.	2021-22	197.50
8.	2022-23	250.00
9.	2023-24	300.70
10.	2024-25	308.44

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों, अर्थात् केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति, के माध्यम से संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे रही है। इन विश्वविद्यालयों को संस्कृत भाषा में शिक्षण और अनुसंधान के लिए निधियाँ प्रदान की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

*****